=+1>*t35

Title: Need to confer legal rights on people settled on forest land in Rajasthan and other parts of the country. - Laid.

श्री भेरूलाल मीणा (सलूम्बर) : महोदय, पूरे देश में स्वतंत्रता से पहले व स्वतंत्रता के बाद अभी तक वन भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो लोग काफी लम्बे समय से वन भूमि में कास्त व काबिज हैं तथा नियमित रूप से बिजली, पानी, खेती तथा अन्य व्यवसाय करते आ रहे हैं उनमें से बहुत से नगर तथा वार्ड आदि बन चुके हैं, परन्तु अभी तक भूमि का स्वामित्व पूर्ण रूप से वन भूमि के रूप में है। जबकि ऐसी भूमि के वन अधिनियम 1980 में आने से पहले भी लोग खेती व व्यवसाय करते आ रहे हैं तथा रिहायशी के रूप में उसका उपयोग कर रहे हैं। वन भूमि का बंदोबस्त कानून न होने की वजह से पूरे देश के अंदर ऐसी भूमि में बसे लोगों को आये दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे राजस्थान के अंदर एवं खासकर जनजाति क्षेत्र में ज्यादातर भूमि वन के अंतर्गत अंकित की गयी है, जिसमें राजस्थान के बहुत से जिले जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालौर, भीलवाड़ा आते हैं। अभी हाल ही में केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि राज्यों को वन भूमि में 1980 से पहले से काबिज लोगों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया आरंभ करने को कहा गया है। अतः भारत सरकार से आग्रह है कि राजस्व भूमि बंदोबस्त कानून की तरह वन भूमि कानून बनाया जाना पूरे देश में जनहित के लिये अत्यंत आवश्यक है, इससे लोगों को उनके कानूनी हक प्राप्त हो सकेंगे तथा वन भूमि का भी नियमित रूप से निर्धारण हो सकेगा।